



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022020-215859
CG-DL-E-01022020-215859

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2020/माघ 10, 1941

No. 56]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2020/MAGHA 10, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 59(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 460 के उपबंध राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू होंगे।

[फा. सं. 17/61/2016-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2020

G.S.R. 59(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby directs that the provisions of section 460 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall apply to a limited liability partnership from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. 17/61/2016-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

601 GI/2020